विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00- 20, 17/14

(1) **प्रकरण क्रमांक L00-20/2014**

1. श्री शकील अहमद पिता बरकतउल्ला,
2. शेख मोहिर्बुरहमान माता शबाना खानम,
3. मो0 साजिद पिता मो0 साबिर,
4. हबीर्बुरहमान पिता सलमात उल्ला — **आवेदकगण**

सभी निवासी – ताजनगर कॉलोनी,
रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे,
एमार्गिद तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
पिन कोड – 450332

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बुरहानपुर (म.प्र.) – 450332

(2) **प्रकरण क्रमांक L00-17/2014**

1. श्री शकील अहमद पिता बरकतउल्ला,
2. मो0 अययुब पिता अब्दुल सलाम,
3. मो0 सईद पिता मो0 अमीन, — **आवेदकगण**
4. मो0 साजिद पिता मो0 साबिर,
5. मो0 सलीम पिता मो0 बशीर,

सभी निवासी – ताजनगर कॉलोनी,
रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे,
एमार्गिद तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
पिन कोड – 450332

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बुरहानपुर (म.प्र.) – 450332

आदेश

(दिनांक 05.11.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0274014 श्री शकील अहमद तथा अन्य 3 विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध उपभोक्तागण की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

1 (अ) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0275014 श्री शकील अहमद तथा अन्य 4 विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 के विरूद्ध शकील अहमद द्वारा पृथक से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उस अभ्यावेदन का निराकरण भी इसी आदेश के द्वारा किया जाता है । दोनों अभ्यावेदनों में अन्तर यह है कि शकील अहमद द्वारा अनावेदक की मांग के आधार पर राशि जमा की जा चुकी है, जबकि अन्य आवेदकों ने 3000/– प्रति किलोवाट की दर से अनावेदक की मांग के आधार पर राशि जमा नहीं की है ।

2. उपभोक्तागण ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि ग्रामीण एमागिर्द तहसील – बुरहानपुर में आवेदकगण तथा उस क्षेत्र के अन्य निवासियों ने स्वयं के 7,20,000/– एवं सांसद निधि की मद से रू0 2,80,000/– मिलाकर उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य कराया था । अनावेदक ने उक्त विद्युतीकरण कार्य का स्टीमेट बनाया था उसकी 5 प्रतिशत की सुपरविजन की राशि सर्विसेस टैक्स आदि वसूल की गई थी । विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद आवेदक क्रमांक 1 शकील अहमद को घरेलू विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया था, परन्तु अनावेदक ने भू–सम्पत्ति के 500 रू0 वर्गफिट के लिए 6000/– रू. किलोवाट के हिसाब से अतिरिक्त राशि की मांग विद्युत कनेक्शन के लिए की जा रही है जो विधि विपरीत है, अतः अनावेदकगण की मांग को निरस्त करते हुए उन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाए।

3. अनावेदक की ओर से यह जवाब दिया गया है कि आवेदकगण के बताए अनुसार विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था । आवेदकगण से 5 प्रतिशत सुपरविजन की राशि वसूल की गई थी तथा आवेदक क्रमांक – 1 को घरेलू विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया था, परन्तु विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0179511 में दिनांक 15.06.2011 को जो आदेश प्रसारित किए गए थे उनके अनुसार ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कण्डिका 4.42 के अनुसार भार की संगणना करते हुए निम्नदाब विद्युत लाईन बिछाने का खर्च वहन करते हुए 'अ' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से कार्य करवाने हेतु 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण राशि जमा करके 3000/– रू. प्रति किलोवाट की धनराशि जमा करके तीन माह की सुरक्षा निधि जमा करके तथा सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस का भुगतान करते हुए उपभोक्ता यदि नियमानुसार विद्युत संयोग प्राप्त करते हैं तो फोरम को कोई आपत्ति नहीं होगी ।'' उपभोक्ता को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 4.31 के अनुसार भार की गणना कर फोरम के उपरोक्त आदेश के अनुसार 3000 प्रति किलोवाट की मांग की गई है जो उचित है एवं वसूली योग्य है ।

अतः मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों एवं अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के प्रकाश में नियमानुसार यदि आवेदकगण शुल्क भुगतान करने हेतु तत्पर है तब उस स्थिति में इस कार्यालय को संयोजन प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

4. फोरम ने मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों एवं अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 का उल्लेख अपने आदेश में करते हुए यह अभिमत दिया है कि आवेदकगण अर्थात् शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं ने नवीन कनेक्शन चाहा है । अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 4.13 के अनुसार भार की गणना कर रू0 3000 प्रति किलोवाट मांग की गई है जो पूर्णतः उचित एवं वसूली योग्य है ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्तागण ने यह शिकायत की है कि फोरम ने विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उनकी शिकायत का उचित रूप से निराकरण नहीं किया है, अतः फोरम के आदेश को अपास्त किया जाकर उनकी शिकायत का निराकरण किया जाए ।

6. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज और उनकी ओर से किए गए मौखिक तर्क का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि विवादित क्षेत्र जहां पर विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था कृषि योग्य भूमि थी तथा इस क्षेत्र के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य कराएं बिना सांसद निधि से प्राप्त राशि तथा उस क्षेत्र के निवासियों से कुछ राशि लेकर विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था । इसी अवधि में श्रीमती सबीहानाहीद ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष शिकायत विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत की थी । शिकायत प्रकरण क्रमांक W0179511 श्रीमती सबीहानाहीद विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में दिनांक 15.06.2011 को आदेश पारित किया गया था । इस मामले में फोरम ने यह निर्णय दिया था :–

1) परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।

2) त्वरित विद्युतीकरण हेतु निम्नदाब के घरेलू उपभोक्ता यदि व्यक्तिगत तौर पर या सामुहिक रूप से क्षेत्रफल के आधार पर म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की कण्डिका 4.42 के अनुसार भार की गणना करते हुए निम्नदाब विद्युत लाईन बिछाने का खर्च वहन करते हुए 'अ' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से कार्य करवाने हेतु 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण राशि जमा करके रूपये 3000/– प्रति किलोवाट धनराशि जमा करके, तीन माह की सुरक्षानिधि जमा करके

तथा सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस का भुगतान करते हुए नियमानुसार विद्युत संयोग प्राप्त करते हैं तो फोरम को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

3) चूंकि विद्युत लाईन विस्तार कार्य में समय लगता है, अतः बिजली उपभोक्ताओं की पसन्द के अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदार द्वारा दो माह में निम्नदाब विद्युत लाईन विस्तार कार्य स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार परिवादिनी अथवा उसके समूह के खर्च पर पूरा किया जावे ।

4) चूंकि कालोनी के विकास एवं अधोसंरचना में जो विलम्ब होगा, उसके लिए उत्तरोत्तर कठिनाईयां होगी उसके लिए परिवादिनी अथवा समूह स्वयं जवाबदार रहेंगे । उन्हें संयुक्त रूप से मिलकर विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने का साहस जुटाना चाहिए ।

5) विद्युत विभाग ने बिना कालोनी विकास के कृषिभूमि पर अपने स्तर से निर्णय लेकर जो विद्युत संयोग प्रदाय किए हैं उसके लिए विद्युत विभाग स्वयं जवाबदार है । अतः फोरम इसमें कोई टीप देना युक्तियुक्त नहीं पाता है ।

7. फोरम के उक्त आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता ने स्वयं के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था । उसने यह सहायता चाही थी कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.09.09 के अनुसार आवेदिका से 3000/– प्रति किलोवाट के हिसाब से राशि प्राप्त कर आवेदक को नया विद्युत कनेक्शन घरेलू हेतु 2 किलोवाट का प्रदान करने हेतु आदेश अनावेदक को दिया जाए । फोरम के समक्ष उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर फोरम को उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करना था अर्थात् उसके द्वारा चाही गई सहायता प्रदान करना था अथवा उसके आवेदन पत्र को निरस्त करना था, परन्तु फोरम ने ऐसा बहुआयामी आदेश प्रदान किया था, जिसको दिए जाने का कोई औचित्य नहीं था । ऐसी स्थिति में फोरम का यह आदेश उस क्षेत्र के सभी बिजली उपभोक्ताओं के संबंध में लागू नहीं होता था तथा ऐसे आदेश के आधार पर अनावेदक द्वारा क्षेत्र के अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि विधिक रूप से फोरम के उक्त आदेश का विद्युत के अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में कोई प्रभाव नहीं था । अतः शकील अहमद वाले मामले में अनावेदकगण द्वारा फोरम के आदेश दिनांक 15.06.11 के अनुसरण में कार्यवाही किए जाने तथा उपभोक्ताओं से मांग किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि शकील अहमद वाले मामले में उपभोक्तागण ने फोरम के आदेश दिनांक 15.06.11 के अनुसरण में विद्युत कनेक्शन दिए जाने की मांग नहीं की थी ।

8. अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उपभोक्तागण को विद्युत कनेक्शन दिए जाने के लिए व्यय तथा प्रभार की वसूली किस प्रावधान के अन्तर्गत की जा सकती है ।

9. अनावेदकगण ने फोरम के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया है उसके अनुसार यदि उपभोक्ता मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों एवं अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के प्रकाश में यदि भुगतान करें तो उन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है ।

10. इस परिपेक्ष्य में अनावेदक की ओर से उपभोक्ताओं को जो सूचना दिनांक 26.04.14 को दी गई है उसके अनुसार उन्हें सूचित किया गया था कि उनके द्वारा कनेक्शन की राशि जमा की गई है, परन्तु विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की धारा 4.31 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से उन्हें विद्युत संहिता 2013 की धारा 4.4.1 के अनुसार 3000/– रू0 प्रति किलोवॉट की दर से राशि जमा करना आवश्यक है अतः ऐसी राशि जमा करने के बाद ही उन्हें विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा ।

11. अनावेदक के अधिकारी कनिष्ठ यंत्री (न.वि.स.) मप्रपक्षेविविकंलि, बुरहानपुर के पत्र दिनांक 26.04.14 में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 4.4.1 का उल्लेख किया गया है । यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 नाम की कोई संहिता नहीं है वास्तव में नाम मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 है । उक्त संहिता में धारा 4.4.1 नाम की कोई धारा नहीं है । इससे स्पष्ट है कि कनिष्ठ यंत्री द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित पत्र में संहिता के गलत नाम का उल्लेख किया गया है तथा अनावेदक के कनिष्ठ यंत्री को संभवतः विधि के प्रावधानों की जानकारी नहीं है ।

12. फोरम के प्रश्नगत् आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन के जवाब में अनावेदक की ओर से यह कहा गया है कि प्रश्नगत् उपभोक्ताओं से संबंधित अवैध कालोनियों का बाह्य विद्युतीकरण वर्ष 2012 में किया गया था । प्रश्नगत् उपभोक्ताओं ने फोरम के समक्ष जो शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसमें इस तथ्य को प्रश्नगत् नहीं किया था कि कालोनी वैध है अथवा अवैध है ? परन्तु, फोरम के आदेश के विरूद्ध जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें तर्क के दौरान यह बात सामने आई कि प्रश्नगत् कालोनी अवैध कालोनी थी और ऐसी अवैध कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2012 में किया गया था ।

13. मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु विनियम बनाया गया है । उक्त विनियम के पुनरीक्षण प्रथम के प्रावधान ही प्रश्नगत् विवाद का निपटारा करने के लिए सहायक हैं तथा इन्हीं प्रावधानों का उल्लेख उपभोक्ता द्वारा, अनावेदक द्वारा तथा शिकायत का निराकरण करने वाले फोरम द्वारा

किया गया है, परन्तु उक्त विनियम के कौन से प्रावधान इस मामलें में लागू होंगे इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है ।

14. प्रश्नगत् विनियम 2009 की कण्डिका 4.4.1 के अतिक्ति 4.5.1 तथा 4.5.2 का अवलोकन इस विवाद के निराकरण के लिए किया जाना आवश्यक है । अनावेदक विद्युत अनुज्ञप्तिधारी यदि प्रश्नगत् कालोनी को वैध मानते हैं उस स्थिति में 4.4.1 के प्रावधान लागू होंगे । जहां 4.4.1 के प्रावधान लागू होते हैं उसमें अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से या तो 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार की राशि ले सकता है अथवा 3000/– रू0 प्रति किलोवाट की दर से प्रभार की वसूली कर सकता है । दोनों विकल्पों का एक साथ उपयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं किया जा सकता है । इस मामलें में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार की वसूली उपभोक्ताओं से की गई है, ऐसी स्थिति में वह उक्त कण्डिका के प्रावधानों के अनुसार दूसरे विकल्प अर्थात् 3000/– रू0 प्रति किलोवॉट की दर से प्रभार की वसूली उपभोक्ता से नहीं कर सकता है, परन्तु यदि कालोनी का आंशिक क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है उस स्थिति में 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार की वसूली नहीं की जा सकती है । केवल 3000/– अथवा 4000/– रू0 प्रति किलोवाट की दर से उपभोक्ता द्वारा प्रभार जमा करने पर ही विद्युतीकरण का कार्य किया जा सकता है । इस मामलें में देखने में यह आता है कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा यह जानते हुए कि प्रश्नगत् कालोनी अवैध है तथा उसमें आंशिक क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य कराएं जाने का आवेदन उपभोक्ताओं से प्राप्त हुआ है । अवैध रूप से उपभोक्ताओं से 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार की राशि जमा कराई गई थी तथा बाद में गलती को सुधारने के लिए 3000/– रू0 प्रति किलोवाट की दर से प्रभार जमा कराए जाने का आदेश 4.4.1 के प्रावधानों के अनुसार दिया गया था ।

15. संबंधित विनियम 2009 की कण्डिका 4.5.1 तथा 4.5.2 के प्रावधानों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यदि कोई कालोनी अवैध घोषित की गई है अथवा असंगठित बस्तियां हैं वहां पर विद्युतीकरण का कार्य किए जाने के लिए 4.5.2 में निर्धारित प्रक्रियां का अनुसरण किया जाना चाहिए । इस मामलें में प्रश्नगत् कालोनी अवैध कालोनी थी, इस कालोनी में आंशिक विद्युतीकरण का कार्य कराएं जाने का आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 4.5.2 में निर्धारित प्रक्रियां का अनुसरण किया जाना चाहिए था परन्तु इस मामलें में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त प्रक्रियां का अनुसरण नहीं किया गया है ।

: निष्कर्ष :

16. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रश्नगत् कालोनी अवैध कालोनी थी । उक्त कालोनी में आंशिक विद्युतीकरण का कार्य कराएं जाने के लिए विद्युत के उपभोक्ता शकील अहमद, शेख

मोहिर्बुरहमान, मो0 साजिद तथा हबीर्बुरहमान ने आवेदन पत्र पेश किया । उनके द्वारा आवेदन पत्र पेश करने पर अनावेदक जो कि विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी का कर्मचारी हैं, के द्वारा आंशिक विद्युतीकरण का कार्य कराएं जाने के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया था तथा उपभोक्ताओं को प्राक्कलित लागत का 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार जमा करने का आदेश दिया गया था । उपभोक्ताओं द्वारा पर्यवेक्षण प्रभार जमा करने के बाद उक्त क्षेत्र का विद्युतीकरण कराया गया था । इसके पश्चात् उपभोक्ताओं को भार की संगणना कर 3000/– रू0 प्रति किलोवाट की दर से प्रभार जमा किए जाने का आदेश कनिष्ठ यंत्री द्वारा दिया गया था, जबकि अवैध कालोनी में विद्युतीकरण हेतु विनियम 2009 की कण्डिका 4.5.2 में निर्धारित प्रक्रियां का अनुसरण किया जाना चाहिए था तथा उक्त प्रावधान के अनुसार ही उपभोक्ताओं से विद्युतीकरण का प्रभार वसूल किया जाना चाहिए था । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युतीकरण का कार्य कराए जाने में विधि के प्रावधानों की उपेक्षा किया जाना साबित होता है । कालोनी के प्राक्कलित भार के अनुसार उपभोक्ताओं से 3000/– रू0 प्रति किलोवाट की दर से अर्थात् उपभोक्ताओं के प्लॉट के क्षेत्रफल के मान से उन्हें जो राशि जमा करने का आदेश कनिष्ठ यंत्री के द्वारा दिया गया है वह विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है ।

17. अतः उपभोक्ताओं की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । तत्संबंध में फोरम द्वारा दिए गए दोनों आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि उपभोक्ताओं के कालोनी में आंशिक विद्युतीकरण का कार्य कराएं जाने के लिए कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं को उनके प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर कनिष्ठ यंत्री द्वारा राशि जमा करने का जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार वह उपभोक्ताओं से राशि वसूल नहीं कर सकता है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वह संबंधित विनियम की कण्डिका – 4.5.2 में निर्धारित प्रक्रियां का अनुसरण करते हुए उपरोक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना संपादित करें । उपभोक्ताओं के द्वारा 5 प्रतिशत के मान से जो पर्यवेक्षण शुल्क वसूल किया गया है उसका समायोजन 4.5.2 में निर्धारित प्रक्रियां के अनुसार किया जावे । यदि राशि अधिक हो तो उपभोक्ताओं को वापस किया जाए तथा यदि कम हो तो उनसे ऐसी अतिरिक्त राशि की वसूली की जावे । इसके अतिरिक्त यदि अनावेदक की मांग के अनुसार विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता द्वारा प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर राशि जमा की गई हो तो उक्त राशि का समायोजन 4.5.2 में निर्धारित प्रक्रियां के अनुसार किया जावे, यदि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि अधिक हो तो ऐसी अधिक राशि उसे वापस की जाए और यदि कम

हो तो अतिरिक्त राशि की वसूली उससे की जावे । तद्नुसार उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार उन्हें नियमानुसार विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जावे ।

18. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदकगण की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल